



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक: 2021 / फा0सं0-641 / व्य0पत्रा0 / DSMNRU / 2017-18

दिनांक: 24 मार्च, 2018

// कार्यालय-आदेश //

विश्वविद्यालय के आदेश सं0: 782/फा0सं0-499/डीन/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2017-18, दिनांक: 11 अगस्त, 2017 द्वारा डॉ0 अश्वनी कुमार दुबे, अधिष्ठाता (कला संकाय) को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक विधि संकाय के विभागाध्यक्ष के साथ-साथ अधिष्ठाता, विधि संकाय नामित किया था।

इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक: 13.12.2017 के क्रम में विश्वविद्यालय के आदेश सं0: 782/फा0सं0-499/डीन/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2017-18, दिनांक: 11 अगस्त, 2017 को अवक्रमित करते हुए विधि संकाय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन के दृष्टिगत डॉ0 शेफाली यादव, प्रोफेसर, विधि को 03 वर्षों के लिए विधि संकाय का संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है। इस दायित्व के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलपति कार्यालय को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय।
5. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
6. डॉ0 अश्वनी कुमार दुबे, प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग।
7. डॉ0 शेफाली यादव, प्रोफेसर, विधि विभाग।
8. सम्बन्धित विभाग के शिक्षकवृन्द।
9. सम्बन्धित शिक्षक की व्यक्तिगत पत्रावली।
10. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय की वेबसाइट हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव